

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 11, सोमवार, शाके 1948- जून 01, 2026 Jyaistha 11, Monday, Saka 1948- June 01, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 26, 2026

प्रपत्र-9

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19(1)
एवं राजस्थान नियम 21(1) के अधीन घोषणा)

RAJKAJ REF 22419396 :-यतः सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ
राजस्थान राज्य के टोंक जिले में देवली से जयपुर वाया बिसलपुर और टोडारायसिंह कस्बों को
जोड़ने के लिये बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण (लगभग 1.513 कि.मी.) के
निर्माण हेतु कुल 4.2100 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भूखण्ड है,
जो मानक माप का 4.2100 हैक्टेयर है जो ग्राम रावतामाताजी, राजमहल एवं बीसलपुर,
तहसील देवली, जिला टोंक में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसी ल का नाम	गाँव का नाम	खस रा सं ख्या	भू मि का प्र का र	अवा प्त क्षेत्र फल (वर्ग मीटर)	अ वा प्त क्षेत्र फल (है क्टे यर)	जमा बंदी का कुल क्षेत्र फल (हैक्टे यर)	भू-स्वामी का नाम	दिशाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
										पू.	प.	उ.	द.	कि स्म	सं ख्या	प्र का र	कु सी क्षेत्र
1	टोंक	देवली	रावता माता जी	2	सर का री	6200. 00	0.6 20 0	159. 0500	1. वनविभागहि स्सा- पूर्णमहकमा जंगलात	-	1		-	-	-	-	-
2	टोंक	देवली	रावता	1	सर	8600. 00	0.8 60	69.8 800	राज.सरकार	1	2	5		-	-	-	-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अवाप्त क्षेत्रफल (हेक्टर)	जमा बंदी का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	भू-स्वामी का नाम	दिशाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
										पू.	प.	उ.	द.	कि. स्म	संख्या	प्रकार	कुसी क्षेत्र
			माता जी		कारी		0					5					
3	टोंक	देवली	राजम हल	139 6/1	सरकारी	4900.00	0.4900	69.1200	1. वनविभागरा जस्थानहि स्सा- पूर्ण NA महकमाजंग लात,	-	-	-	4	-	-	-	-
4	टोंक	देवली	बीसल पुर	182 2	सरकारी	6500.00	0.6500	4.1700	1. वनविभागरा जस्थानहि स्सा- पूर्ण NA महकमाजंग लात,	182 1	182 2	182 5	-	-	-	-	-
5	टोंक	देवली	बीसल पुर	181 6	सरकारी	1500.00	0.1500	14.6200	1. वनविभागरा जस्थानहि स्सा- पूर्ण NA महकमाजंग लात,	181 7	181 5	605 9	181 9	-	-	-	-
6	टोंक	देवली	बीसल पुर	605	सरकारी	4400.00	0.4400	18.4500	1. वनविभागरा जस्थानहि स्सा- पूर्ण NA महकमाजंग लात,	605 4	605 6	509 9	181 6	-	-	-	-
7	टोंक	देवली	बीसल पुर	181 5	सरकारी	6600.00	0.6600	7.8200	राज. सरकार	181 6	181 3	181 4	181 2	-	-	-	-
8	टोंक	देवली	बीसल पुर	606	सरकारी	3300.00	0.3300	7.1500	राज. सरकार	606 5	181 4	-	181 2	-	-	-	-
9	टोंक	देवली	बीसल पुर	181 4	सरकारी	100.00	0.0100	4.7100	राज. सरकार	606 3	181 1	606 6	181 5	-	-	-	-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अवाप्त क्षेत्रफल (हेक्टर)	जमाबंदी का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	भू-स्वामी का नाम	दिशाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
										पू.	प.	उ.	द.	कि. स्म.	संख्या	प्रकार	कुसी क्षेत्र
परियोजना में कुल अवाप्त रकबा :							42100	4.2100	354.97								

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यस्थापन के लिए सम्भावित कुटुम्ब की संख्या 0 है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी विशिष्ट भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चर के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला-टोंक के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना योजना का सार संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त

पंकज आर्य,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.वि., जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।